तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 8, जयपुर महानगर प्रथम** **पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग) आपराधिक निगरानी संख्या – 55/2025 सीआईएस नंबर – 628/2025 सीएनआर नंबर – **RJJM010342052025** नीना शर्मा बनाम राज0 सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.06.2026	निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक – 20.11.2025, द्वारा न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन आई एक्ट प्रकरण) क्रम 09, जयपुर महानगर प्रथम, बसिलसिले प्रकरण संख्या – 5698/2022, उनवानी नीना शर्मा बनाम अरविन्द कुमार, में पारित किया गया। ——————————————————————————— निगरानीकर्ता/परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित। अप्रार्थी/गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 राज0 राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अप्रार्थी/गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 का नाम डिलीट। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2025 को निगरानीकर्ता/परिवादी की अनुपस्थिति एवं तलवाना पेश नहीं किये जाने के कारण परिवाद खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। बहस निगरानी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगानीकर्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 20.11.2025 को अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके व तलवना पेश करने में असमर्थ रहे, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद खारिज कर दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं है। अन्त में निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने व वांछित अनुतोष प्रदत्त किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अपर लोक अभियोजक को भी सुना गया। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.11.2025 को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 8, जयपुर महानगर प्रथम** **पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग) आपराधिक निगरानी संख्या – 55/2025 सीआईएस नंबर – 628/2025 सीएनआर नंबर – **RJJM010342052025** नीना शर्मा बनाम राज0 सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	पत्रावली तलबी अभियुक्त/गैरनिगरानीकर्ता के स्तर पर लंबित थी, जिसमें अभियुक्त की तलबी नहीं हो पायी थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों के आलोक में हस्तगत निगरानी को इसी स्तर पर गुणावगुण पर अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी याचिका में दिये गये आधारों को दृष्टिगत रखते हुये हस्तगत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 20.11.2025 अपास्त किया जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित रहे प्रकरण संख्या 5698/2022, नीना शर्मा बनाम अरविन्द कुमार, को इस शर्त के साथ रेस्टोर किये जाने का आदेश दिया जाता है कि निगरानीकर्ता/परिवादी आगामी पेशी दिनांक 03.07.2026 आदेशिका शुल्क/तलवाना प्रस्तुत कर देगी एवं भविष्य में भी विचारण में विधिअनुसार वांछित पर्याप्त सहयोग करती रहेगी। आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे। आदेश आज दिनांक 19.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है, अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर रहे। (बृजेश कुमार) अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–8, जयपुर महानगर प्रथम	